

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

स०स०-०३/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति)-०२/२०१५

शुद्धि पत्र

उद्योग विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2492, दिनांक-11.07.2016 द्वारा ₹1970.49 लाख राशि की स्वीकृति की गयी है। जिसमें से ₹400.00 लाख मात्र संभावित बचत है। जिसे औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत वैट/प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति मद में पूर्व में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त उक्त संभावित बचत राशि को वाणिज्य कर विभाग को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

1. अतः उद्योग विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2492, दिनांक-11.07.2016 के कंडिका-1 एवं 2 को निम्न प्रकार से संशोधित की जाती है, तदनुसार इसे इस प्रकार पढ़ा जाय :-

2. स्वीकृत राशि ₹1970.49 लाख मात्र के स्थान पर ₹1570.49 लाख मात्र पढ़ा जाय।

3. विपत्र कोड- P2852801020160 के विषय शीर्ष-33 01 सब्सिडी मद से ₹1531.68 लाख के स्थान पर ₹1131.68 लाख मात्र पढ़ा जाय।

4. राज्यादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगे।

प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक:-/

०३/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति)-०२/२०१५

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं ह०), वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक:-/

०३/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति)-०२/२०१५

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक:-/

०३/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति)-०२/२०१५

प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

क्रमशः पृष्ठ-०२ पर

